भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2962
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

लघु और मध्यम स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए निधियां

2962. श्री जिया उर रहमान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु और मध्यम स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस संबंध में क्या नीतियां अपनाई गई हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए छोटे और मध्यम सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 31 अक्टूबर , 2024 तक पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 399 शीत श्रृंखला परियोजनाएं, 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 559 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन परियोजनाएं और 51 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रचालन में है। पीएमएफएमई योजना के तहत दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक कुल 1,08,580 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अब तक 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए स्वीकृत दी गई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****